भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 276

मंगलवार, 22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया का प्रदर्शन और विनिर्माण वृद्धि

276. थिरु दयानिधि मारनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2025 तक विनिर्माण जीडीपी हिस्सेदारी को 15% से बढ़ाकर 25% करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मेक इन इंडिया पहल की विफलता के क्या कारण हैं, क्योंकि 2025 में विनिर्माण हिस्सेदारी घटकर 13-14% रह गई है, साथ ही 2014-25 के वर्षवार विनिर्माण जीडीपी आंकड़े क्या हैं;

(ख) 2014-25 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष निदेशी निवेश (एफडीआई) का कितना प्रवाह रहा है, इसमें अग्रणी विनिर्माण राज्यों का राज्यवार तुलनात्मक प्रदर्शन क्या है और असमान प्रदर्शन में योगदान देने वाले कौन से कारक हैं;

(ग) राज्यों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के अंतर्गत निधि के आवंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है, इनका क्षेत्र-वार वितरण क्या है और कितना रोजगार सृजन किया गया;

(घ) राज्य-स्तरीय विनिर्माण नीतियों और निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन में उनकी प्रभावशीलता के सरकार के आकलन का ब्यौरा क्या है, जिसमें उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सर्वोत्तम पद्धतियां भी शामिल हैं; और

(ङ) अन्य विकासशील देशों की तुलना में विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात प्रदर्शन में भारत की वर्तमान वैश्विक रैंकिंग का ब्यौरा क्या है, साथ ही मूल उद्देश्यों की पूर्ति न होने के कारण क्या-क्या संशोधित रणनीति बनाई गई है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने तथा अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं। भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया'

पहल शुरुआत की गई है। वर्तमान में, 'मेक इन इंडिया' 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इन क्षेत्रों की सूची **अनुबंध-I** में संलग्न है।

देश में विनिर्माण क्षेत्र ने विगत दशक में वृद्धि दर्ज की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार, स्थिर मूल्यों पर विनिर्माण क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) वित्त वर्ष 2013-14 के 15.60 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 28.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा, स्थिर मूल्यों पर कुल जीवीए में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2013-14 के 17.2% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 17.5% हो गया है। **(स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी 2025)**

मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम) की घोषणा की है। यह मिशन पांच प्रमुख क्षेत्रों पर बल देगा अर्थात व्यापार करने में सुगमता और लागत; मांग वाली नौकरियों हेतु भविष्य के अनुरूप तैयार कार्यबल; जीवंत और उर्जावान एमएसएमई क्षेत्र; प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।

(ख): अक्तूबर 2019 से मार्च 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र में दर्ज किए गए एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का राज्यवार विवरण और अप्रैल 2014 से मार्च 2025 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में दर्ज किए गए एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का विवरण **अनुबंध-II** में संलग्न है।

(ग) से (ङ): इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने हेतु, 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरूआत की गई है। ये 14 प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ मध्यवर्ती औषधि और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, (v) फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, (vi) विशेष इस्पात, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी

और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, और (xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक। इन स्कीमों में उत्पादन को व्यापक रूप से बढ़ाने, विनिर्माण आउटपुट में बढ़ोतरी करने और भविष्य में तीव्र गति से आर्थिक विकास में योगदान करने की क्षमता है। पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने की किफायत करना एवं भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन स्कीमों में लगभग अगले पांच वर्षों में उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को व्यापक रूप से बढ़ावा देने की क्षमता है।

ये स्कीमें पूरे भारत में लागू हैं और निवेश स्थल का चयन आवेदकों के विवेक पर निर्भर करता है। संबंधित मंत्रालय/विभाग, अपने-अपने क्षेत्रों के लिए संबंधित कार्य योजनाओं, कार्यक्रमों, स्कीमों और नीतियों के माध्यम से देश भर में कंपनियों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहलें करते हैं, जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भी निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी स्कीमें हैं।

पीएलआई स्कीम के तहत दिनांक 24.06.2025 तक 12 क्षेत्रों के लिए कुल 21,534 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है। इन क्षेत्रों में व्यापक स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम), आईटी हार्डवेयर, बल्क ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, व्हाइट गुड्स, ड्रोन और ड्रोन घटक, विशेष इस्पात, वस्त्र उत्पाद एवं ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक शामिल हैं।

अन्य प्रमुख पहलों में पहलों में स्टार्ट-अप इंडिया, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली, जीआईएस आधारित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में सुधार, मल्टी-मोडल अवसंरचना की एकीकृत आयोजना के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना मानीटरिंग समूह, औद्योगिक पार्कों की स्थापना करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए कार्यक्रम, अनुपालन बोझ में कमी के उपाय करना, श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाना, माल एवं सेवा कर लागू करना, कॉर्पोरेट कर की दर में कमी, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के नीतिगत उपाय आदि प्रमुख हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 276 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र

i. एरोस्पेस और रक्षा
ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
iii. फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस
iv. बायो-टेक्नोलॉजी
v. कैपिटल गुड्स
vi. वस्त्र एवं परिधान
vii. रसायन और पेट्रो रसायन
viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग (ईएसडीएम)
ix. चमड़ा और फुटवियर
x. खाद्य प्रसंस्करण
xi. रत्न और आभूषण
xii. शिपिंग
xiii. रेलवे
xiv. निर्माण
xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

i. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
ii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
iii. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
iv. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
v. लेखा और वित्त सेवाएं
vi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
vii. कानूनी सेवाएं
viii. संचार सेवाएं
ix. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
x. पर्यावरणीय सेवाएं
xi. वित्तीय सेवाएं
xii. शिक्षा सेवाएं

*****

अनुबंध-II

दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 276 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अक्तूबर 2019 से मार्च 2025 तक राज्यवार विनिर्माण क्षेत्र का राज्यवार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का विवरण

क्रम सं	राज्य का नाम	एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह की राशि (मिलियन अमेरिकी डॉलर में) (विनिर्माण क्षेत्र)
1.	आंध्र प्रदेश	856.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.03
3.	असम	13.59
4.	बिहार	8.40
5.	चंडीगढ़	59.74
6.	छत्तीसगढ	120.56
7.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	172.32
8.	दिल्ली	12,506.77
9.	गोवा	148.05
10.	गुजरात	12,624.55
11.	हरियाणा	5465.62
12.	हिमाचल प्रदेश	359.41
13.	जम्मू और कश्मीर	0.30
14.	झारखंड	2654.84
15.	कर्नाटक	13,563.36
16.	केरल	329.05
17.	लद्दाख	0.00
18.	मध्य प्रदेश	459.19
19.	महाराष्ट्र	26,204.92
20.	मणिपुर	0.00
21.	मेघालय	0.00
22.	नागालैंड	0.00
23.	ओडिशा	44.49
24.	पुदुच्चेरी	18.52
25.	पंजाब	398.77
26.	राजस्थान	644.80

27.	तमिलनाडु	7332.04
28.	तेलंगाना	5637.66
29.	त्रिपुरा	0.56
30.	उत्तर प्रदेश	978.30
31.	उत्तराखंड	174.75
32.	पश्चिम बंगाल	663.80
33.	राज्य जिनको दर्शाया नहीं गया है	12.83
	कुल योग :	**91,460.52**

*कुल एफडीआई में इक्विटी अंतर्वाह, अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है। क्षेत्र/राज्य/देशवार विवरण केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के इक्विटी घटक के लिए ही तैयार किए जाते हैं।

अप्रैल 2014 से मार्च 2025 तक विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

समय अवधि	**एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में) विनिर्माण क्षेत्र**
अप्रैल 2014 से मार्च 2025 तक	1,84,151.50

*कुल एफडीआई में इक्विटी अंतर्वाह, अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल है। क्षेत्र/राज्य/देशवार विवरण केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह के इक्विटी घटक के लिए ही तैयार किए जाते हैं।

*****